

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला - भ्र.नि.व्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना - प्र.आ. केन्द्र भ्र.नि.व्यूरो, जयपुर
प्र.ई.रि.स. - 213122 दिनांक - 31/5/2022
2. (अ) अधिनियम - भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये - 7,7ए
(ब) अधिनियम - धाराये - 120 B भा.द. स.
(स) अधिनियम - धाराये -
(द) अन्य अधिनियम - धाराये -
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या - 630 समय - 6.45 P.M.,
ब. अपराध के घटने का दिन - दिनांक - 28.03.2022
स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 28.03.2022 समय - 11 ए.एम..
4. सूचना की किरम - लिखित/मौखिक - लिखित।
5. घटना स्थल -
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी - बरुख उत्तर पश्चिम 10 किलोमीटर लगभग
(ब) पता :- किशोर बाग आरपीटीसी जोधपुर।
बीट संख्या जरायमदेही संख्या
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
पुलिस थाना जिला
6. परिवारी का नाम
 1. (अ) नाम - कुम्भाराम (ब) पिता/पति का नाम - श्री रेवताराम
(स) जन्म तिथि/वर्ष - 45 वर्ष (द) राष्ट्रीयता - भारतीय
(य) व्यवसाय - प्राईवेट (र) पता - गांव जेलू तहसील तिंवरी जिला जोधपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित-
 1. श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री जोधाराम जाति विश्नोई उम्र 48 साल निवासी ग्राम सामराऊ (भीमसागर) पुलिस थाना औसिया जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी चामू पुलिस थाना देचु जिला जोधपुर ग्रामीण।
 2. श्री अशोकराम पुत्र श्री भैराम जाति मेघवाल उम्र 30 वर्ष निवासी दलपत नगर गाँव खिरजा खास तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर प्राईवेट व्यक्ति (दलाल)
 3. परिवारी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :- कुछ नहीं
 4. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां - शुन्य
 5. चुराई हुई लिप्त सम्पत्तियां का कुल मूल्य :-
 6. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो) कोई नहीं.....
 7. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट.....

सेवामैं

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधिकारी,
भ्रष्टाचार निरोधक व्युरो, स्पेशल
यूनिट जोधपुर

विषय:- रिश्वत लेते हुए रंग हाथ पकड़वाने हेतु
महोदय जी

निवेदन है कि मैं कुंभाराम पुत्र श्री रेवतराम जाति मेघवाल उम्र 45 साल निवासी गांव जेलू गगड़ी तहसिल औसिया जिला जोधपुर हाल तहसिल तिंवरी का रहने वाला हूँ। दिनांक 24.02.2022 को मैं और मेरा दूर का भाई प्रेमाराम मेरे बेटी ललीता के ससुराल राजसागर चामू बेटी को मिलने गये था। जिस पर मेरी बेटी सास रेखा व जवाई अशोक ने हमारे साथ मारपीट की। भौके पर पुलिस थाना देचू की चामू चौकी से महीपाल विश्नोई सहायक उपनिरीक्षक पूलिस ने आकर मुझे वहाँ से बाहर निकाला। इस धटना का मुकदमा संख्या 50/2022 पुलिस थाना देचू जिला जोधपुर ग्रामीण में दर्ज करवाया मेरे वह मेरे भाइयों के विरुद्ध मेरी बेटी की सासू ने मुकदमा संख्या 48/2022 पुलिस थाना देचू में दर्ज करवाया। इन दोनों मुकदमों की अनुसंधान श्री महीपालसिंह सहायक उपनिरीक्षक कर रहे हैं। श्री महीपाल अनुसंधान अधिकारी ने मेरे प्रकरण में मदद करने वह हमारे विरुद्ध दर्ज प्रकरण में धारा कमज़ोर करने की एवज में मुझसे 50,000(पचास हजार) रूपये डरा धमकाकर मांगे गए जिस पर मैं उनके दबाव में आकर 15000/-रूपये केश दिये एवं श्री महीपालसिंह के कहने पर उनके दलाल के खाते में पैटीएम से मैंने 6 मार्च 2022 को 4000/-एवं 8 मार्च 2022 को 20,000/-रूपये जमा करवाने पड़े। श्रीमान जी इसके बावजूद भी अनुसंधान अधिकारी श्री महीपालसिंह मुझसे बार-बार रूपये की मांग कर रहा है एवं नहीं देने पर गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है। मेरे साथ हुई मारपीट में दर्ज प्रकरण में कानुनी कारवाई करवाने एवम मेरे वह मेरे भाइयों के विरुद्ध दर्ज झुठे प्रकरण में सही अनुसंधान करवाने के लिए मैं श्री महीपालसिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना देचू को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि रिश्वत लेते रंग हाथो पकड़वाना चाहता हूँ। श्री महीपालसिंह से मेरे कोई दुश्मनी नहीं एवं नहीं ही कोई लेन-देन बकाया है कानुनी कारवाई करवाए। मुकदमा नम्बर 50/22 एवम 48/22 पुलिस थाना देचू की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति एवम मेरे आधार कार्ड की प्रति दे रहा हूँ। श्री महीपाल सिं के मो० नम्बर 7014341578 से मेरे मो०नम्बर 9001889623 पर हुई रिश्वत संबंधित वार्तालाप जो मेरे मो० में रिकॉर्ड है उक्त रिकॉर्डिंग की सीडी पेश कर रहा हूँ।

भवदीय

दिनांक

28.03.2022

एसडी

(कुंभाराम)

पुत्र श्री रेवतराम जाति मेघवाल

निवासी ग्राम जेलू तहसिल तिंवरी

जिला जोधपुर

मो.नम्बर-9001889623

एसडी
(डा० दुर्गसिंह राजपुरोहित)

28 / 03 / 2022

एसडी
(प्रमोद पायक)
30 / 04 / 2022

एसडी
(जयेश गण्डेर)
30 / 04 / 2022

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 28.03.2022 समय 11.00 एम.

इस समय परिवादी श्री कुंभाराम पुत्र श्री रेवतराम जाति मेघवाल उम्र 45 साल निवासी गांव जेलूं तहसील तिंवरी जिला जोधपुर ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि "निवेदन है कि मैं कुंभाराम पुत्र श्री रेवतराम जाति मेघवाल उम्र 45 साल निवासी गांव जेलूं गगड़ी तहसील औसिया जिला जोधपुर हाल तहसील तिंवरी का रहने वाला हूँ। दिनांक 24.02.2022 को मैं और मेरा दुर का भाई प्रेमाराम मेरे बेटी ललीता के ससुराल राजसागर चामू बेटी को मिलने गये था। जिस पर मेरी बेटी सास रेखा व जवाई अशोक ने हमारे साथ मारपीट की। मौके पर पुलिस थाना देचू की चामू चौकी से महीपाल विश्नोई सहायक उपनिरीक्षक पूलिस ने आकर मुझे वहाँ से बाहर निकाला। इस घटना का मुकदमा संख्या 50/2022 पुलिस थाना देचू जिला जोधपुर ग्रामीण में दर्ज करवाया मेरे वह मेरे भाइयो के विरुद्ध मेरी बेटी की सासू ने मुकदमा संख्या 48/2022 पुलिस थाना देचू में दर्ज करवाया। इन दोनो मुकदमों की अनुसंधान श्री महीपालसिंह सहायक उपनिरीक्षक कर रहे हैं। श्री महीपाल अनुसंधान अधिकारी ने मेरे प्रकरण में मदद करने वह हमारे विरुद्ध दर्ज प्रकरण में धारा कमज़ोर करने की एवज में मुझसे 50,000(पचास हजार) रुपये डरा धमकाकर मांगे गए जिस पर मैं उनके दबाव में आकर 15000/-रुपये केश दिये एवं श्री महीपालसिंह के कहने पर उनके दलाल के खाते मैं पैटीएम से मैने 6 मार्च 2022 को 4000/-एवं 8 मार्च 2022 को 20,000/-रुपये जमा करवाने पड़े। श्रीमान जी इसके बावजूद भी अनुसंधान अधिकारी श्री महीपालसिंह मुझसे बार-बार रुपये की मांग कर रहा है एवं नहीं देने पर गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है। मेरे साथ हुई मारपीट में दर्ज प्रकरण में कानुनी कारवाई करवाने एवम मेरे भाइयो के विरुद्ध दर्ज झुठे प्रकरण में सही अनुसंधान करवाने के लिए मैं श्री महीपालसिंह सहायक उपनिरीक्षक पुलिस थाना देचू को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ। बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। श्री महीपालसिंह से मेरे कोई दुश्मनी नहीं एवं ना ही कोई लेन देन बकाया है कानुनी कारवाई करवाए। मुकदमा नम्बर 50/22 एवम 48/22 पुलिस थाना देचू की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति एवम मेरे आधार कार्ड की प्रति दे रहा हूँ। श्री महीपाल सिं के मो० नम्बर 7014341578 से मेरे मो०नम्बर 9001889623 पर हुई रिश्वत संबंधित वार्तालाप जो मेरे मो० में रिकॉर्ड है उक्त रिकॉर्डिंग की सीडी पेश कर रहा हूँ।" परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय के श्री रामचन्द्र कानि०.432 से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मालखाने से निकलवाकर मंगवाया गया तथा परिवादी श्री कुंभाराम को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाई गई तथा श्री रामचन्द्र कानि० 432 का परिवादी श्री कुंभाराम से आपसी में परिचय करवाया गया।

वक्त 12.40 पी.एम.पर परिवादी श्री कुंभाराम द्वारा उसके मो०न०.9001889623 से आरोपी श्री महीपाल एसआई के मो०न०.7014341578 पर कॉल लगाकर कॉल को स्पीकर पर कर कार्यालय के डिजिटल वायस रिकॉर्डर से कॉल को रिकॉर्ड किया गया जिससे सामने आया कि आरोपी महीपाल राजकार्य से जोधपुर आया हुआ है एवं परिवादी को किशोर बाग, आरपीटीसी जोधपुर आने के लिए कहा है उक्त रिकॉर्ड की फर्द ट्रांसक्रिप्शन नियमानुसार तैयार की जावेगी। वक्त 12.51 पी.एम. पर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री रामचन्द्र कानि०.432. को सुपर्द कर परिवादी श्री कुंभाराम व आरोपी श्री महीपाल सहायक उप निरीक्षक के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाकर लाने हेतु परिवादी श्री कुंभाराम एवं श्री रामचन्द्र कानि० 432 को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय से किशोर बाग, आरपीटीसी जोधपुर के लिए रवाना किया गया।

वक्त 2.15 पी.एम. पर श्री रामचन्द्र कानि० 432 मय परिवादी श्री कुंभाराम के कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर उपस्थित आये और श्री रामचन्द्र कानि० 432 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द कर बताया कि "मैं व परिवादी श्री कुंभाराम आज दिनांक 28.03.2022 को कार्यालय से रवाना होकर किशोर बाग पेट्रोल पम्प पहुँचे। जहां पर मन् कुंभाराम आज दिनांक 28.03.2022 को कार्यालय से रवाना होकर किशोर बाग आरपीटीसी की ओर रवाना किया तथा स्वयं आस पास गोपनीय रूप से मुकिम कर लाने हेतु किशोर बाग आरपीटीसी की ओर रवाना किया तथा स्वयं आस पास गोपनीय रूप से मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवादी पुनः मेरे पास आया तथा रिकॉर्डर सुपर्द किया जिससे मैंने ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा व परिवादी ने मुझे बताया कि मेरे व महीपाल के बीच मांग सत्यापन वार्ता हो गई है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर उक्त मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो स्पष्ट हुआ कि

परिवादी श्री कुंभाराम के विलद्ध दर्ज मुकदमें में धारा हटाने और मदद करने की एवज में 41000 रुपये पूर्व में दिये गये जिसमें से 20000 रुपये दलाल अशोक के मार्फत महिपाल सहायक उप निरीक्षक के पास प्राप्त होने की बात स्पष्ट हुई है एवं अन्य प्रकरण में भी परिवादी के पक्ष में मदद करने की एवज में 15000 रुपये की मांग करना स्पष्ट हुआ है एवं परिवादी द्वारा बताये गये तथ्य की पुष्टि हुई। मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्डा बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया।

वक्त 2.40 पी.एम. पर परिवादी श्री कुंभाराम के मोबाईल न0 9001889623 पर दलाल अशोक के मोबाईल न0 7665116626 से कॉल आने पर कॉल को स्पीकर पर कर कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया गया वार्तालाप में दलाल अशोक द्वारा परिवादी का सीधा महिपाल से सम्पर्क करने पर नाराजगी जाहिर करना एवम परिवादी से पूर्व में लिये गये दलाली के रूप में लिए गए पैसों को रवीकार करना पाया गया आईन्डा उक्त वार्तालाप की फद्र ट्रांकिष्यन तैयार की जावेगी। जिस पर परिवादी कुंभाराम को आरोपी द्वारा मांगी गई रिश्वत राशि की व्यवस्था करना एवं अब तक की गोपनीय कार्यवाही को गोपनीय रखने की हिदायत कर एवं पुनः आरोपी से सम्पर्क होने पर कार्यालय उपरिथ्त आने हेतु हिदायत कर कार्यालय हाजा से रुखसत किया गया।

दिनांक 29.04.2022 वक्त 8.30 पी.एम. पर कल सुबह 30.04.2022 को ब्यूरो की गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह की आवश्यक होने पर सहायक अभियन्ता ए-3 जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर को जरिए पत्रांक 875 दिनांक 29.04.2022 के द्वारा दो स्वतंत्र गवाह पांबंद करने हेतु पत्र भिजवाया गया एवं ब्यूरो कार्यालय के स्टाफ को समय पर सुबह 10 ए.एम. पर उपरिथ्त आने हेतु पांबंद किया गया उच्चाधिकारियों को सम्पूर्ण हालात निवेदन किए गए एवं कार्यवाही में ट्रेप टीम को लीड करने हेतु ब्यूरो की शहर चौकी का अतिरिक्त चार्ज होने से श्री मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक को एवं ड्राईवर प्रेमसिंह के साथ समय 10 ए.एम. पर इस कार्यालय में उपरिथ्त होने की हिदायत दी गई।

दिनांक 30.04.2022 वक्त 10.00 ए.एम. पर श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय ड्राईवर प्रेमसिंह भट्टाचार्य निरोधक ब्यूरो, जोधपुर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशनुसार गोपनीय कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में उपरिथ्त आये एवं पूर्व में पांबंदशुदा स्वतंत्र गवाह कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-3 जोधपुर से उपरिथ्त आए। जिनका मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय पुछने पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान ने बारी बारी से अपना परिचय श्री जयेश गण्डेर पुत्र श्री पुखराज जी जाति मेघवाल उम्र 29 साल निवासी चांदपोल के बाहर, माता कुण्ड रोड, स्वास्तिक सदन, पुलिस थाना सूरसागर जिला जोधपुर हाल वाणिज्यिक सहायक कार्यालय सहायक अभियन्ता, ए-3, जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर, मोबाईल नम्बर 9588803756 तथा प्रमोद पायक पुत्र श्री ब्रजमोहन जी पायक जाति दर्जी उम्र 46 साल निवासी 41, इन्द्रा कॉलोनी, सती माता मन्दिर के पास, एयरपोर्ट रोड जोधपुर हाल तकनीकी सहायक कार्यालय सहायक अभियन्ता ए-3, जोधपुर डिस्कॉम जोधपुर, मोबाईल नम्बर 8829010970 होना बताया। जिस पर उपरोक्त गवाहान का परिचय श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस से करवाया गया। वक्त 12.05 पी.एम पर परिवादी श्री कुंभाराम मय रिश्वत राशि के कार्यालय उपरिथ्त आया जिसका पुलिस निरीक्षक मनीष वैष्णव एवं स्वतंत्र गवाहान से परिचय करवाया एवं परिवादी कुंभाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र से सम्बन्धित पत्रावली एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकॉर्ड है को श्री मनीष वैष्णव सुपुर्द निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु उच्चाधिकारियों के निर्देशनुसार निर्देशित किया गया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुपरविजन हेतु साथ उपरिथ्त रहा।

वक्त 12..10 पी.एम पर मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री कुंभाराम द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट को पढ़कर दोनों गवाहान को सुनाई गई और दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढ़वायी गई। परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट को पढ़-सुन दोनों गवाहान द्वारा ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की सहमति प्रदान की गई एवं परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजात की फोटो प्रतिया पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान ने अपने अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 28.03.2022 को परिवादी श्री कुंभाराम एवं आरोपी श्री महिपाल एएसआई के मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, की रिकॉर्डिंग के मुख्य-मुख्य मांग अश को सुनाया गया। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास में रखा। उक्त वार्ता की आईन्डा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी।

वक्त 12..30 पी.एम पर दोनों गवाहान के रु-ब-रु परिवादी श्री कुंभाराम द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री कुंभाराम ने 15000 रुपये जो महिपाल एएसआई को व 5000 रुपये दलाल अशोक को दिये जाने हैं, को अलग पुलिस निरीक्षक को पेश किए। जिस पर परिवादी श्री कुंभाराम ने भारतीय मुद्रा संदिग्ध अधिकारी दो होने से पृथक-पृथक दी जाने वाली राशि 15000 रुपये श्री महिपाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी चामू पुलिस थाना देचू जिला जोधपुर को एवं

5000 रुपये दलाल श्री अशोक को दी जाने वाली कुल राशि 20,000 रुपये पेश किये। श्रीमति सुशीला महिला कानि, नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर कानि, नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आई तथा श्रीमति सुशीला महिला कानि, नम्बर 103 ने मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री कुंभाराम की जामा उत्तर रखकर नोटों पर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री कुंभाराम की जामा तलाशी गवाह श्री प्रमोद पायक से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर 9001889623 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 15000 रुपये जो श्री महिपाल सहायक उप निरीक्षक को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी कुंभाराम के पहनी हुये पेन्ट की दाहिनी जेब में एवं अन्य आरोपी दलाल श्री अशोक को दी जाने वाली राशि 5000 रुपये के नोटों को परिवादी श्री कुंभाराम के पहने हुए पेन्ट की बाई जेब में श्रीमति सुशीला महिला कानि, नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री कुंभाराम को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुए एवं आरोपीगण द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि पृथक-पृथक निकाल कर देवे तथा आरोपीगण से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या श्री मनीष पुलिस निरीक्षक भ्रनि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. 9530292476 पर रिश्वती राशि आदान-प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर धोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन धोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन धोल में श्रीमति सुशीला के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो धोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने धोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के धोल में हाथ धुलाने पर धोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला से गिलास के गुलाबी धोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को पाउडर लगाने वाली श्रीमति सुशीला से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपीगण के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करे।

वक्त 1.50 पी.एम पर मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री जयेश गण्डेर एवं श्री प्रमोद पायक मय परिवादी श्री कुम्भाराम ब्यूरो जाक्टा श्री मंधराज हैड कानि. 63, श्री प्रकाश कानि. 265, श्री अर्जुनसिंह कानि. 319, श्री रामचन्द्रसिंह कानि. 432, श्री भवरलाल कानि. 501, श्री गणेश कुमार कानि. 219 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के सरकारी वाहन टवेरा मय श्री प्रेमसिंह कानि. चालक के तथा मन् डॉ० दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुपरवीजन हेतु मय प्राईवेट वाहन मय चालक के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर से गांव चामू के लिए रवाना हुए। वक्त 02.07 पी.एम पर मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री जयेश गण्डेर एवं श्री प्रमोद पायक मय परिवादी श्री कुम्भाराम, ब्यूरो जाक्टा के तथा मन् डॉ० दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुपरवीजन हेतु मय प्राईवेट वाहन मय चालक के आर.पी.टी.सी मण्डोर जोधपुर के पास पहुचे जहा पर वाहनो को रोड के किनारे खड़ा करवाकर परिवादी श्री कुम्भाराम के मोबाइल न. 90011889623 से श्री अशोक प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के मोबाइल न. 7665116626 पर स्पिकर ॲन कर कॉल को स्पीकर पर कर कार्यालय के डिजिटल वायस रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया गया वार्तालाप करवाई तो दलाल अशोक ने परिवादी को बताया कि आज मेरे काम होने से आज मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं महिपाल जी से बात कर आपको बताता हूँ। उपरोक्त वार्ता की कर्द ट्रांसक्रिप्ट आइन्डा बनाने का निर्णय लिया गया।

वक्त 02.17 पी.एम. पर श्री कुंभाराम के मोबाईल न. 90011889623 से श्री अशोक प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के मोबाईल न.7665116626 पर स्पिकर ऑन कर कॉल को स्पीकर पर कर कार्यालय के डिजिटल वायस रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया गया वार्तालाप करवाई तो श्री अशोक प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) ने परिवादी को बताया कि महिपाल जी सुबह तो देचू थाने में ही थे अभी उनका फोन बन्द आ रहा है। उपरोक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आइन्डा बनाने का निर्णय लिया गया। परिवादी को रिश्वत राशि के साथ एस.ओ. के पास सीधा ही भेजने का निर्णय लेकर मय हमरायान के गांव चामू के लिए रवाना हुए। वक्त 03.10 पी.एम पर गांव तिंवरी पहुँचे जहां पर परिवादी की पूर्व में खड़ी की गई पिकअप गाड़ी में श्री रामचन्द्र कानिं 432 को परिवादी कुंभाराम के साथ गांव चामू के लिए रवाना कर उनके पिछे-पिछे निरीक्षक पुलिस मय हमरायान मय वाहनो के रवाना गांव चामू के लिए हुए।

वक्त 04.22 पी.एम पर श्री रामचन्द्र कानि० 432 को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर हिदायत दी गई की पुलिस चौकी चामू के पास पहुच डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू कर परिवादी श्री कुंभाराम को सुपुर्द करे तथा रिश्वत राशि लेन-देन का गोपनीय इशारा होने पर निरीक्षक पुलिस को सुचित कराने की हिदायत कर श्री रामचन्द्रसिंह कानि० 432 मय परिवादी श्री कुंभाराम को पुलिस चौकी चामू के लिए मय परिवादी की पिक अप गाड़ी के रवाना किया गया। उनके पीछे पीछे निरीक्षक पुलिस मय हमरायान मय वाहनो के चामू गांव के बाहर से रवाना होकर बस स्टेंड चामू के आस पास परिवादी के गोपनीय इशारे के इंतजार मे मुकिम हुए।

वक्त 04.35 पी.एम पर मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय हमरायान मय वाहन के रवाना हो गांव चामू के बाहर खड़ी परिवादी श्री कुंभाराम की पिक अप गाड़ी के पास पहुचा। जहा पर रामचन्द्र कानि० 432 ने कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि पुलिस चौकी चामू के पास पहुच परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द मय पिक अप गाड़ी के पुलिस चौकी चामू की तरफ रवाना कर मै परिवादी के गोपनीय इशारे इंतजार मे पुलिस चौकी चामू के आस पास खड़ा रहा। कुछ समय बाद परिवादी श्री कुंभाराम बगैर ईशारा किये आपसे मिल कर मय पिक अप गाड़ी के मेरे पास आया। जिस पर मै व परिवादी आपके निर्देशानुसार परिवादी श्री कुंभाराम की पिक अप गाड़ी से गांव चामू के बाहर पहुचे जहा पर मैने परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर रिव्यु ॲफ कर अपने पास रखा। जिस पर उक्त डिजिटल वॉयस रिकार्डर को सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा एवम् परिवादी श्री कुंभाराम ने निरीक्षक पुलिस को रुबरू गवाहान के बताया कि मै पुलिस चौकी चामू पहुचा जहा पर आरोपी श्री महिपाल स.उ.नि. चौकी मे उपरिथित मिले। जो मुझे देखते ही अपनी मोटर साईकिल की तरफ रवाना हो गया मैने उसे कहा की मेरे मामले के सम्बन्ध मे अशोक से बात हो गई तो उसने कहा कि तु जाने और अशोक जाने मुझे कोई लेना देना नही है, इतना कहकर आरोपी महिपाल स.उ.नि अपनी मोटर साईकिल लेकर चौकी से बाहर की तरफ रवाना हो गया। जिस पर इमरोज ट्रैप कार्यवाही सम्बन्ध नही होने से अग्रिम व 5,000 रुपये गवाह श्री जयेश गण्डेर से परिवादी श्री कुंभाराम की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी एवं बायी जेब से निकलवाकर उपरोक्त रिश्वत राशि 15,000 व 5,000 रुपये अलग अलग सफेद लिफाफो मे डलवा कर उपरोक्त रिश्वती राशि के दोनों लिफाफे गवाह श्री जयेश गण्डेर के पास रहने दिये गये।

वक्त 04.45 पी.एम पर मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय हमरायान गवाह श्री जयेश गण्डेर एवं श्री प्रमोद पायक ब्यूरो जाल्ता श्री मेघराज हैड कानि० 63, श्री प्रकाश कानि० 265, श्री अर्जुनसिंह कानि० 319, श्री रामचन्द्रसिंह कानि० 432, श्री भंवरलाल कानि० 501, श्री गणेश कुमार कानि० 219 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकार्डर, रिश्वत राशि 15,000 व 5,000रुपये अलग-अलग सफेद लिफाफो एवं परिवादी के कार्य से प्रेमसिंह कानि० चालक के तथा मन् डॉ 10 दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय प्राईवेट वाहन मय चालक के, परिवादी श्री कुंभाराम मय उसकी पिक अप गाड़ी के गांव चामू के बाहर से रवाना जोधपुर के लिए हुए। वक्त 05.45 पी.एम पर मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय हमरायान गवाह श्री जयेश गण्डेर एवं श्री प्रमोद रामचन्द्रसिंह कानि० 432, श्री भंवरलाल कानि० 501, श्री गणेश कुमार कानि० 219 मय कार्यालय का डिजीटल सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रैप बॉक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के सरकारी वाहन टवेरा मय श्री वैष्णव टेप रिकार्डर, रिश्वत राशि 15,000 व 5,000रुपये अलग अलग सफेद लिफाफो एवं परिवादी के कार्य से प्रेमसिंह कानि० चालक के तथा मन् डॉ 10 दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय प्राईवेट वाहन मय चालक मय श्री कुंभाराम मय उसकी पिक अप गाड़ी के गांव चामू के बाहर से वक्त 04.45 पी.एम पर रवाना होकर वक्त 05.40 पी.एम गांव तिंवरी पहुचे जहा पर परिवादी श्री कुंभाराम को कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर परिवादी कुंभाराम को मय पिक अप गाड़ी के ग्राम तिंवरी मे छोड़कर निरीक्षक मय हमरायान 15,000 व 5,000 रुपये के अलग-अलग सफेद लिफाफे प्राप्त कर उपरोक्त रिश्वती राशि के दोनो लिफाफे निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी मे सुरक्षित रखवाकर अलमारी की चाबी अपने पास रखी।

दिनांक 06.05.2022 वक्त 11.10 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री जयेश गण्डेर एवं श्री कुंभाराम कार्यालय उपरिथित आये। वक्त 12.10 पी.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री रिपोर्ट मैं दिनांक 02.05.2022 को परिवादी के मोबाइल पर श्री अशोक प्राईवेट दलाल का कॉल आया कि आप तो एसीबी को महिपाल की शिकायत कर रहे हो मैने आपको सही समझा था लेकिन बहुत गलत निकले अब आप रुपये आपके पास रखे जो करना है जो कर ले ना हमने तो हमारा रास्ता निकाल लिया है अब श्री एसआई मुझसे पैसा नही लेगा इसलिए अब अग्रीम कार्यवाही होना संभव नही है, का उल्लेख किया हुआ है।

उक्त रिपोर्ट को बाद अवलोकन शामिल रानिंग नोट किया गया। तथा दिनांक 02.05.2022 को परिवादी श्री कुंभाराम व श्री अशोक प्राईवेट दलाल के मध्य मोबाइल पर हुई वार्ता की सीडी पेश की। उक्त रिपोर्ट को बाद अवलोकन मय सीडी के शामिल रानिंग नोट किया गया।

उक्त 12:15 पी.एम. पर परिवादी श्री कुंभाराम एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री जयेश गण्डेर एवं श्री प्रमोद पायक के समक्ष निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस टेप रिकॉर्डर जिसमें परिवादी श्री कुंभाराम एवं आरोपी महिपाल स.उ.नि पुलिस चौकी चामू के मध्य दिनांक 28.03.2022 रिश्वती राशि मांग सत्यापन से पूर्व मोबाइल पर हुई वार्ता तथा परिवादी श्री कुंभाराम एवं आरोपी महिपाल स.उ.नि पुलिस चौकी चामू के मध्य दिनांक 28.03.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरु वार्तालाप एवं स.उ.नि पुलिस चौकी चामू के मध्य दिनांक 28.03.2022 रिश्वती राशि मांग परिवादी श्री कुंभाराम एवं श्री अशोक प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के मध्य दिनांक 28.03.2022 रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरु वार्तालाप एवं परिवादी श्री कुंभाराम एवं श्री अशोक प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के मध्य दिनांक 30.04.2022 रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व मोबाइल पर हुई वार्ता तथा परिवादी श्री (दलाल) के मध्य दिनांक 30.04.2022 को रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व मोबाइल पर हुई वार्ता तथा परिवादी श्री कुंभाराम एवं आरोपी महिपाल स.उ.नि पुलिस चौकी चामू के मध्य दिनांक 30.04.2022 को रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व रूबरु वार्तालाप रिकॉर्ड है उक्त वार्तालापों की दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 से कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन व समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप एवं फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेनदेन वार्तालाप श्री रामचन्द्रसिंह कानि. 432 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। रिश्वती राशि मांग सत्यापन से पूर्व मोबाइल पर हुई वार्ता व रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरु वार्तालाप में परिवादी श्री कुंभाराम ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी महिपाल स.उ.नि पुलिस चौकी चामू की होना बताया तथा रिश्वती राशि मांग सत्यापन के बाद मोबाइल पर हुई वार्तालाप में परिवादी श्री कुंभाराम ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज अशोक प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) की होना बताया एवं रिश्वती राशि लेन-देन से पूर्व रूबरु वार्तालाप में परिवादी श्री कुंभाराम ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी महिपाल स.उ.नि पुलिस चौकी चामू की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रानिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की सीडीयां तैयार की गई। जिसमें से एक-एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की तीन-तीन सीडीयों को डब सीडीयां मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक-एक डब सीडी हेतु व दूसरी दो डब सीडीया आरोपीयों की मानकर तैयार की गई है। कार्यवाही के दौरान अनुसंधान अधिकारी हेतु व दूसरी दो डब सीडीया आरोपीयों की मानकर तैयार की गई है। कार्यवाही के हिस्से हेतु शेष 9000 रूपये रिश्वत राशि मांग करना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है।


अब तक की कार्यवाही से श्री महिपाल एएसआई पुलिस चौकी चामू पुलिस थाना देचू जिला जोधपुर द्वारा परिवादी कुंभाराम से अशोक प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के मार्फत 20,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना स्वीकारना एवं अन्य प्रकरण में भी परिवादी के पक्ष में मदद करने की एवज में आरोपी श्री महिपाल एएसआई द्वारा 15000 रूपये रिश्वत राशि मांग करना तथा श्री अशोक प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) द्वारा परिवादी विरुद्ध दर्ज मुकदमें में श्री महिपाल स.उ.नि के मार्फत धारा हटाने और मदद करने की एवज में परिवादी कुंभाराम से अशोक प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) द्वारा 41000 रूपये रिश्वत के रूप में स्वयं के एवम पुलिस अधिकारी के लिए प्राप्त करना स्वीकार करना इसमें से 20,000 रूपये परिवादी कुंभाराम से जरिये पेटीएम प्राप्त करना तथा स्वयं के हिस्से हेतु शेष 9000 रूपये रिश्वत राशि मांग करना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री महिपाल सिंह पुत्र श्री जोधाराम जाति बिश्नोई उम्र 48 साल निवासी ग्राम सामराउ (भीमसागर) पुलिस थाना औसिया जिला जोधपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी चामू पुलिस थाना देचू जिला जोधपुर ग्रामीण व श्री अशोकराम पुत्र श्री भैराराम जाति मेघवाल उम्र 30 वर्ष निवासी दलपत नगर गाँव खिरजा खास तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7 ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवम 120 बी भा.द.स. के अन्तर्गत दंडनीय अपराध होने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वार्ते कमांकन व्यूरों मुख्यालय जयपुर प्रेषित है।

(डा० दुर्गसिंह राजपुरोहित)

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. दुर्गसिंह राजपुरेहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री महिपाल सिंह, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस चौकी चामू, पुलिस थाना देचु जिला जोधपुर ग्रामीण एवं 2. श्री अशोकराम पुत्र श्री भैराराम निवासी दलपत नगर गाँव खिरजा खास तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर प्रईवेट व्यक्ति(दलाल) के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 213/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


31.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 1887-91 दिनांक 31.5.2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।


31.5.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।